

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 868
जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है
राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण/रखरखाव में गुणवत्ता सुनिश्चित करना

868. श्री नरेश गणपत म्हस्के:

श्रीमती शांभवी:

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री राजेश वर्मा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के निर्माण और रखरखाव की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) निर्माण के लिए निर्धारित किए जा रहे नए मानक और गलियारा-आधारित अवसंरचना विकास के लिए ध्यान केंद्रित किए जा रहे क्षेत्र क्या हैं;

(ग) निर्माण और रखरखाव के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कार्य-निष्पादन की रेटिंग और पारदर्शी टोल संग्रह बोलियों को किस प्रकार लागू किया जाएगा;

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास में मात्रा से गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की समय-सीमा क्या है; और

(ङ) देश में सड़क सुरक्षा, यातायात दक्षता और समग्र राजमार्ग अवसंरचना पर इन परिवर्तनों का क्या अनुमानित प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ.) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देशों और कोडों में निर्दिष्ट निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजमार्ग निर्माण निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो, साइट पर कार्यों के दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण के लिए निष्पादन एजेंसियों द्वारा सलाहकार (प्राधिकरण के इंजीनियर / स्वतंत्र इंजीनियर- ईई / आईई) नियुक्त किए जाते हैं। निष्पादन एजेंसियों के अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और निर्धारित आवश्यकताओं के साथ रियायतग्राही / ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता के अनुरूप पालन सुनिश्चित करते हैं। ऐसी जांच / पर्यवेक्षण के दौरान देखी गई कमियों, यदि कोई हो, को आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के

लिए रियायतग्राहियों / ठेकेदारों के ध्यान में लाया जाता है। किसी भी चूक के मामले में अनुबंध समझौते के प्रावधानों के अनुसार चूक करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों के कार्यान्वयन में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों में सुधार के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

- i. कार्य पूरा होने से पहले और बाद में तथा पूरा होने के बाद हर छह महीने में नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (एनएसवी) के माध्यम से सड़क की स्थिति का अनिवार्य आकलन; समर्पित केंद्रीय प्रकोष्ठ के माध्यम से संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के दौरान संविदात्मक प्रावधानों के विश्लेषण और प्रवर्तन का उपयोग करके सड़क की स्थिति के आकलन के लिए एनएसवी प्रणाली में और अधिक सुधार;
- ii. समय-समय पर चल रहे राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता के आवधिक मूल्यांकन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ एकीकृत ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (डीएमएस) में ड्रोन सर्वेक्षणों से एकत्रित उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी का विश्लेषण;
- iii. परियोजना कार्यान्वयन चरणों के दौरान समय-समय पर कार्यों की समग्र स्थिति और गुणवत्ता के नैदानिक आकलन के लिए चार राज्यों, अर्थात् गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और कर्नाटक में पायलट आधार पर गैर-विनाशकारी परीक्षण उपकरणों से लैस मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन (एमक्यूसीवी) की तैनाती;
- iv. राजमार्गों की खराबियों की निगरानी और सुधार के लिए एनएचएआई वन ऐप नामक एक केंद्रीकृत प्रणाली का संचालन, जो तस्वीरों के साथ-साथ खराबियों की जियो-टैगिंग को सक्षम बनाता है;
- v. मामला-दर-मामला आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के स्वतंत्र गुणवत्ता ऑडिट के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता आडिटर्स की तैनाती।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर समय-समय पर यातायात घनत्व, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य किए जाते हैं। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकारों के परामर्श से प्रमुख शहरों/शहरी केंद्रों और राज्य की राजधानियों में रिंग रोड, बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर के विकास के अलावा, पहुंच नियंत्रित राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर/एक्सप्रेसवे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात की भीड़भाड़ कम हो और जाम/भीड़भाड़ वाले बिंदुओं को कम किया जा सके और राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थानीय यातायात को व्यापक यातायात से अलग किया जा सके। कॉरिडोर-आधारित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई पहल से संबंधित फोकस क्षेत्रों में स्मार्ट हाईवे, जलवायु अनुकूलता, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और डेटा-संचालित प्रबंधन शामिल हैं, जिसमें गुणवत्ता, सुरक्षा और स्थिरता पर उचित जोर दिया गया है।

सरकार का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) परामर्शदाताओं, सहायक अभियंता/आईई (स्वतंत्र अभियंता) और रियायतग्राहियों के लिए प्रदर्शन रेटिंग प्रणालियाँ विकसित करने की पहल की है। प्रदर्शन रेटिंग संबंधी दिशानिर्देश हाल ही में जनता की टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु रियायतग्राही रेटिंग शुरू करने हेतु दिसंबर, 2024 में एक नीति विकसित की है।

एनएचएआई द्वारा पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और प्रौद्योगिकी-सक्षम बोली प्रक्रिया अपनाकर कुशल टोल संग्रह संचालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। टोल प्लाज़ा संचालन के लिए सभी बोलियाँ ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं, जिससे भागीदारी के समान अवसर सुनिश्चित होते हैं और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। यह प्रक्रिया सुस्पष्ट मानदंडों और निगरानी तंत्रों द्वारा संचालित होती है ताकि राजकोष के लिए ईमानदारी, जवाबदेही और इष्टतम राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

सरकार आईआरसी विनिर्देशों और कोडों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करती है और परियोजना विकास के सभी चरणों में यानी डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के चरणों के दौरान सड़क सुरक्षा उपायों पर जोर देती है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनएच परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, पूर्व-उद्घाटन चरण के साथ-साथ मौजूदा एनएच पर सभी एनएच की नियमित सुरक्षा ऑडिट के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, रिंग रोड और बाईपास के अलावा, सरकार ने यातायात की आवश्यकता के अनुसार सभी एनएच में सुधार करने की नीति भी अपनाई है, लेकिन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र को छोड़कर, न्यूनतम दो लेन के पेव्ड शोल्डर के मानकों के साथ जहां भूवैज्ञानिक, पर्यावरणीय कारकों आदि पर विचार करके विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाता है। उपरोक्त विकास कार्य लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ क्षेत्रीय संपर्क में सुधार और देश भर में एनएच तक समग्र पहुंच के लिए किए गए हैं
